भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 6 जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

6. श्री तेजस्वी सूर्या :

श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा :

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश के न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/तंत्र बनाए जा रहे हैं ;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;
- (ग) क्या समयबद्ध अवधि में न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश में न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई विचार है ; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के अनन्य क्षेत्र के भीतर आता है और मामलों के निपटान में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

केन्द्रीय सरकार की मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के प्रति अट्ट प्रतिबद्धता है, जैसा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आज्ञापक है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के इस उद्देश्य से कई पहल की हैं:

i. न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यमों से लंबित और बकाया मामलों में कमी करके और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि करके तथा पालन मानक और क्षमताओं की स्थापना करके पहुंच में अभिवृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों से अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था । मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ,

कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर बल देते हुए, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना भी है।

- ii. न्यायिक अवसंरचनात्मक के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, अधिवक्ताओं के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के सित्रमीण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे अधिवक्ताओं और वादकारियों का जीवन आसान हो जाएगा, जिससे न्याय के परिदान में सहायता होगी । 1993-94 में न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक, 10,567.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 31.12.2023 को 21,524 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 31.12.2023 को 18,951 हो गई है।
- iii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण I और 2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी समर्थता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया था । परिणामस्वरूप, अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा समर्थ बनाई गई है । अधिवक्ताओं और वादियों को मामले की प्रास्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/वाद से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं में सहायता की सुविधा के लिए न्यायालय परिसरों में 875 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं । 20 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 25 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । तारीख 31.12.2023 तक, इन न्यायालयों ने 4.24 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया है और 492.79 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की वसूली की है ।

मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को, 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय के चरण-3 को मंजूरी दे दी है। चरण-1 और चरण-2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का लक्ष्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरिहत न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था शुरू करना है। इसका आशय सभी पणधारियों के लिए न्याय परिदान को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

iv. सरकार उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से 11.01.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 61 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उच्च न्यायालयों में 965 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 695 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

तारीख को	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.12.2023	25,348	20,018

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है । v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियां स्थापित की गई हैं।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों, विरष्ठ नागिरकों, मिहलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्विरत निपटान न्यायालय की स्थापना की है। तारीख 30.11.2023 तक, जघन्य अपराधों, मिहलाओं और बालकों आदि के विरुद्ध अपराधों के लिए 847 त्विरत निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में त्विरत निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। तारीख 30.11.2023 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 411 अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सिहत कुल 758 त्विरत निपटान विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 2,08,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। एफटीएससी स्कीम को 3 और वर्षों के लिए, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, बढ़ा दिया गया है।

vii. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों में रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न विधियों में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है । तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटारा (पीआईएमएस) को आज्ञापक बनाते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था । समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है, जो किसी मामले में दक्ष, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है, जिससे किसी विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान करने, मामले के काल के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए प्रारंभ की गई एक और नई सुविधा कलर बैंडिंग प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को मामलों के लंबित स्तर के अनुसार उनकी सूची के बारे में सचेत करती है।

ix. हाल ही में अधिनियमित माध्यस्थम् अधिनियम, 2023 में अधिकथित किया गया है कि माध्यस्थम् अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार, अधिनियम की पहली अनुसूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध ऐसे मामलों को छोड़कर, जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं और जिस पर मध्यस्थता नहीं की जा सकती, सिविल और वाणिज्यिक मामलों में मध्यस्थता की जा सकती है। पहली अनुसूची

में छूट वाली सूची से यह देखा जा सकता है कि केवल बड़े अपराधों को बाहर रखा गया है, इस प्रकार माध्यस्थम अधिनियम, 2023 के क्षेत्र में अधिकांश छोटे अपराधों को रहने दिया गया है।

x. साधारण लोगों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व स्तर के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालतें तीन प्रकार की होती हैं: राष्ट्रीय लोक अदालतें, राज्य लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं, जो मध्यकता तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान को सुकर बनाने के क्रम में विवादों के समाधान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती हैं। जून, 2020 से, ऑनलाइन लोक अदालत/ ई-लोक अदालतों को वर्चु अल रूप से आयोजित किया गया है, जो जन साधारण को अपने घरों से इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए अनुज्ञात करते हुए, पक्षकारों की बातचीत और सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुकर बनाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	मुकदमा-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
योग	10,92,54,489	3,08,01,775	14,00,56,264

xi. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। तारीख 31.12.2023 तक रजिस्ट्रीकृत 65,74,265 मामलों में, टेली-लॉ के माध्यम से 64,80,269 सलाह दी गई थी।

xii. देश में प्रो-बोनो संस्कृति और प्रो-बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां अधिवक्ता स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने के लिए न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो-बोनो अधिवक्ता के रूप में रिजस्ट्रीकरण कर सकते हैं। राज्य स्तर पर 22 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो-बोनो पैनल प्रारंभ किया गया है। उभरते अधिवक्ताओं में प्रो-बोनो संस्कृति स्थापित करने के लिए 89 चुनिंदा लॉ स्कूलों में प्रो-बोनो क्लब प्रारंभ किए गए हैं।

(ग) और (घ): संवैधानिक न्यायालयों, जैसे उच्च न्यायालयों, में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय, दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार, उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करती है, लेकिन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र

या पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी न्यायाधीशों की रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।

तारीख 07.04.2013 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 25% बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 01.07.2014 से 29.01.2024 की अविध के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से, सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 208 पद बढ़ाकर, अर्थात् 906 से 1114 कर दी है।

वर्तमान में, सरकार के पास उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है । सरकार के पास उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना, जसवन्त सिंह आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों और 2000 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार के एक पूर्ण प्रस्ताव, जिसमें आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध करना होता है, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन प्रशासन की देखभाल करना अपेक्षित है, पर उचित विचार करने के पश्चात् की जाती है। प्रस्ताव को पूर्ण करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमित भी होनी चाहिए।

वर्तमान में, सरकार के पास किसी भी उच्च न्यायालय में खंडपीठ (खंडपीठों) की स्थापना के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

जिलों में नए न्यायालयों की स्थापना तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व, संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का होता है। जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अधीन यथाउपबंधित संवैधानिक उपबंध, संबंधित राज्य सरकारों को उनके उच्च न्यायालयों के परामर्श से, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के मुद्दों के संबंध में नियम और विनियम विरचित करने का उत्तरदायित्व न्यस्त करते हैं। कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया करते हैं, जबिक अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मिलक मज़हर सुल्तान मामले में पारित न्यायिक आदेश द्वारा कितपय समय-सीमाएं नियत की हैं, जिनका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अनुपालन किया जाना होता है। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।
